संख्या सा-3-361/दस-933/89

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 9 अप्रैल, 1991।

विषय : पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 470 (बी) की व्यवस्था के अनुसार पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित होती थी जिससे पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण में काफी विलम्ब होता था। इसके निराकरण हेतु शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह आदेश जारी कर दिये गये थे कि भविष्य में पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र तैयार करके भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी के पास भेज दिया जायेगा। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या सा-3-1713/दस-89-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पुनः परिचालित किया गया। तदनुसार कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले समस्त राज्य कर्मचारियों (भले ही कर्मचारी राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थाई हों) के पेंशन प्रपत्र तैयार कराकर अपने विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी/निदेशक पेंशन, जैसी स्थिति हो, को भेजे जाने चाहिये तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा भुगतानादेश जारी किये जाने चाहिये। उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद कतिपय कार्यालयाध्यक्षों/मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि उनके अधीन कार्यरत तथा सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों जो किसी अन्य विभाग में स्थायी हैं के पेंशन प्रपत्रों की तैयारी एवं अग्रसारण भी उनके द्वारा किया जायेगा अथवा संबंधित सेवक के मूल विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा ।

...2

2• इस संबंध में पुन: स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति पर पेंशन प्रपत्र तैयार करने एवं भुगतानादेश जारी करने की कार्यवाही अनु पैरा-1 में बताई गई शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की व्यवस्था के अनुसार उसी कार्यालयाध्यक्ष/मुख्य लेखा अधिकारी अथवा निदेशक, पेंशन द्वारा की जायेगी जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो भले ही उस कर्मचारी का धारणाधिकार राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में विद्यमान हो ।

भवदीय,

§ गणेश दत्त दीक्षित §
संयुक्त सचिव ।

संख्या सा-3-361§1§/दस-933/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1• महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2• समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3• समस्त मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

§ गणेश दत्त दीक्षित §
संयुक्त सचिव ।